

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

निदेशक का कार्यालय  
पूर्वी मुद्रण वर्ग  
14, वुड स्ट्रीट,  
कोलकाता-700016 (प०ब०)  
दूरभाष सं०: 033-22876950  
फैक्स सं०: 033- 22834694  
ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR  
Eastern Printing Group,  
14, Wood Street  
Kolkata-700016 (W.B.)  
Phone No. 033- 22876950  
Fax No. 033- 22834694  
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 01 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 10 -01-2019  
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. /37-G-15(EPGRO) DATED -01-2019

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से **वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8** में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री सुशील कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्ति)	01-01-2018
2.	श्री गौतम सरदार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2018

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and Others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'B' Non-Gazetted ((Division-II and Division-I (Promotion from Division-II)) of this Directorate is granted Third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-8 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Sushil Kumar Das	Senior Reprographer (Retd.)	01-01-2018
2.	Shri Gautam Sardar	Senior Reprographer	01-01-2018

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-6648/1902-एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 07-12-2018)

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव० II से पदोन्नत) निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	मो० अजीजुर रहमान	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2018

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promoted from Division-II) of this Directorate is granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-7 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Md. Azizur Rahaman	Senior Reprographer	01-01-2018

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-6643/1902-एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 07-12-2018)

III. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

श्री अशीम सरकार, एनग्रेवर ग्रेड-II को एनग्रेवर डिव-I के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-6 में 30-10-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

Shri Ashim Sarkar, Engraver Gde-II is hereby promoted to the post of Engraver Div-I on regular basis with effect from 30-10-2018 in the Pay-matrix Level-6.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नये वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प हेना होगा ।

He is required to exercise an option under Rule F.R. 22(1)(a)(1) for fixation of pay on his promotion in new pay scale (pay matrix).

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-5309/579-एनग्रेवर दिनांक 26-09-2018)

IV. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

सर्वश्री जय कुमार बिस्वास, प्रोवर ग्रेड-II एवं शंकर लाल घोष, एन०एस०के० ग्रेड-II को सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-6 में 20-12-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

S/shri Joy Kumar Biswas, Prover Gde-II and Shankar Lal Ghosh, N.S.K. Gde-II are hereby promoted to the post of Senior Reprographer on regular basis with effect from 20-12-2018 in the Pay-matrix Level-6.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

4. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नये वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प हेना होगा ।

They are required to exercise an option under Rule F.R. 22(1)(a)(1) for fixation of pay on their promotion in new pay scale (pay matrix).

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-6904/972 दिनांक 19-12-2018)

V. सहायक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

सर्वश्री सोमेश प्रमानिक, प्रवर श्रेणी लिपिक एवं परिमल दास, प्रवर श्रेणी लिपिक को सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-6 में 21-12-2018 एवं 20-12-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

S/shri Somesh Pramanick, UDC and Parimal Das, UDC are hereby promoted to the post of Assistnat on regular basis with effect from 21-12-2018 and 20-12-2018 in the Pay-matrix Level-6.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

5. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नये वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प हेना होगा ।

They are required to exercise an option under Rule F.R. 22(1)(a)(1) for fixation of pay on their promotion in the pay scale (pay matrix).

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-6972/1354 (सहायक/एच०सी०) दिनांक 20-12-2018)

VI. तकनीकी श्रमिक से रिप्रोडक्शन स्टाफ (ग्रेड-IV) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति / Promotion on regular basis from Technical Labour to Reproduction Staff (Grade-IV).

श्री ए० श्रीनिवास, तकनीकी श्रमिक, संवर्ग 'सी' (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') को रिप्रोडक्शन स्टाफ, प्रिंटर डाउन ग्रेड ग्रेड-IV के पद पर 13-11-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

Shri A. Srinivas, Technical Labour, Group 'C' (erstwhile Group 'D') is hereby promoted to the post of Reproduction Staff, Printer Down Grade-IV on regular basis with effect from 13-11-2018.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Govt. Servant.

6. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नये वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(1)(क)(1) के तहत विकल्प हेना होगा ।

He is required to exercise an option under Rule F.R. 22(1)(a)(1) for fixation of pay on his promotion in new pay scale (pay matrix).

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० E2-3043/2133-D.C.(Coll.31) दिनांक 10-08-2018)

VII. अधिशेष स्टाफ की तैनाती /Redeployment of Surplus Staff.

श्री रोहिताश मंडल, कैंटीन अटेंडेंट और मो० सहलम खान, कैंटीन अटेंडेंट वाणिज्य विभाग (आपूर्ति विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अधिशेष कर्मचारी स्थापना सेल ने उनके पत्र 1-66/2017-Surplus Cell (Admn. II)/Redeployment-Part(1) दिनांक 31-08-2018 जो कि भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० E3-3014/1011 दिनांक 08-08-2018 से प्राप्त हुये, के अनुसार पूर्वी मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता 16 में दिनांक 03-09-2018 से पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाता है।


Shri Rohitosh Mondal, Canteen Attendant and Md. Sahalam Khan, Canteen Attendant are hereby absorbed as MTS in E.P.G., Survey of India, Kolkata on 03-09-2018 on redeployment from the Department of Commerce (Supply Division), Min. of Commerce & Industry, Surplus Staff Establishment Cell vide their letter No. 1-66/2017-Surplus Cell(Admn. II)/Redeployment-Part(1) dated 31-08-2018 received under S.G.'s letter No. E3-3014/1011 dated 08-08-2018.

VIII. सेवानिवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए।

क्र०सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री अमित अधिकारी	प्रबन्धक (कनिष्ठ)	30-11-2018
2.	श्री अमित कुमार पाल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	30-11-2018

Sl.No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Amit Adhikary	Manager (Junior)	30-11-2018
2.	Shri Amit Kumar Pal	Senior Reprographer	30-11-2018

  
(संजय कुमार)

निदेशक

पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता

**वितरण :-**

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्दारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल ([admn.soi@gov.in](mailto:admn.soi@gov.in)) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभात ।
6. गार्ड फाईल / 4-F-1(MACP)/4-F-12/4-F-14 संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।

ई-मेल के द्दारा

VII. अधिशेष स्टाफ की तैनाती /Redeployment of Surplus Staff.

श्री रोहिताश मंडल, कैंटीन अटेंडेंट और मो० सहलम खान, कैंटीन अटेंडेंट वाणिज्य विभाग (आपूर्ति विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, अधिशेष कर्मचारी स्थापना सेल ने उनके पत्र 1-66/2017-Surplus Cell (Admn. II)/Redeployment-Part(1) दिनांक 31-08-2018 जो कि भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० E3-3014/1011 दिनांक 08-08-2018 से प्राप्त हुये, के अनुसार पूर्वी मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता 16 में दिनांक 03-09-2018 से पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाता है।


Shri Rohitosh Mondal, Canteen Attendant and Md. Sahalam Khan, Canteen Attendant are hereby absorbed as MTS in E.P.G., Survey of India, Kolkata on 03-09-2018 on redeployment from the Department of Commerce (Supply Division), Min. of Commerce & Industry, Surplus Staff Establishment Cell vide their letter No. 1-66/2017-Surplus Cell(Admn. II)/Redeployment-Part(1) dated 31-08-2018 received under S.G.'s letter No. E3-3014/1011 dated 08-08-2018.

VIII. सेवानिवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए।

क्र०सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री अमित अधिकारी	प्रबन्धक (कनिष्ठ)	30-11-2018
2.	श्री अमित कुमार पाल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	30-11-2018

Sl.No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Amit Adhikary	Manager (Junior)	30-11-2018
2.	Shri Amit Kumar Pal	Senior Reprographer	30-11-2018

  
(संजय कुमार)

निदेशक

पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्दारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल ([admn.soi@gov.in](mailto:admn.soi@gov.in)) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभात ।
6. गार्ड फाईल / 4-F-1(MACP)/4-F-12/4-F-14 संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।

ई-मेल के द्दारा